Krishi Kumbh
Online E-Magazine
Www.KrishiKumbh.Com

कृषि कुंभ

E-ISSN: 2582-9769

कृषि कुंभ
हिंदी मासिक पत्रिका

खण्ड 05 भाग 03, (अगस्त, 2025)
पृष्ठ संख्या 22–27

# कृषि–उद्यमिता में युवा और महिला सशक्तिकरण

**डॉ रीना राय, देवेन्द्र मण्डल, डॉ श्वेता कुमारी, डॉ आद्यांत कुमार एवं डॉ आयशा फातिमा**
डॉ कलाम कृषि महाविद्यालय, किशनगंज,
बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर, भारत।

**Email Id:** – r2.jnkvv@gmail.com

## परिचय:

कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है और देश की लगभग 70 प्रतिशत आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इससे जुड़ी हुई है। वर्तमान समय में कृषि को केवल एक पारंपरिक पेशा न मानकर उद्यमिता के रूप में देखा जा रहा है। इस संदर्भ में युवा और महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है।कृषि–उद्यमिता का अभिप्राय है खेती और कृषि से जुड़े व्यवसायों में उद्यमिता को बढ़ावा देना। कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर, निरंतर विकास और महिला सशक्तिकरण की व्यापक संभावनाएँ हैं। बढ़ती जनसंख्या के कारण, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कृषि का विकास आवश्यक है।

कृषि–उद्यमिता न केवल ग्रामीण विकास का मार्ग प्रशस्त करती है, बल्कि यह युवाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण में भी सहायक है। हालांकि, भारतीय कृषि क्षेत्र में महिलाओं और युवाओं की स्थिति अभी भी कमजोर बनी हुई है। उनके अधिकारों को पहचानने और उन्हें उचित सम्मान देने की आवश्यकता है। कई महिलाएँ कृषि भूमि की मालिक होते हुए भी कृषि उद्यमी नहीं बन पातीं। उन्हें शिक्षा, प्रशिक्षण और सरकारी योजनाओं के माध्यम से सहायता दी जानी चाहिए, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। सरकार भी युवा और महिलाओं के लिए विभिन्न योजनाएँ चला रही है, जिससे वे कृषि क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। हालांकि, अभी भी ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों की युवा और महिलाओं को कृषि से आर्थिक लाभ कमाने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

इस लेख में हम कृषि–उद्यमिता के माध्यम से युवा और महिला सशक्तिकरण के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। महिलाएँ दुनिया की कुल आबादी का आधा हिस्सा हैं, जिनके पास अपार क्षमता है और अर्थव्यवस्था में उनका योगदान महत्वपूर्ण है क्योंकि वे वह धुरी हैं जिनके चारों ओर परिवार, समाज और मानवता चलती है। हालांकि, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि समाज में महिलाओं की वास्तविक और संभावित भूमिका को सदियों से नजरअंदाज किया गया है। भारत को एक पितृसत्तात्मक समाज के रूप में जाना जाता है, जहाँ महिलाएँ अपने परिवार के पुरुष सदस्यों, चाहे वह पति हो, पिता या भाई, पर निर्भर रहती हैं। जब भी भारत में महिलाओं की स्थिति की चर्चा होती है, तो असमानता, भेदभाव, अशिक्षा, निर्भरता और शोषण की तस्वीर उभरकर सामने आती है। भारत की लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है, जिससे भारत दुनिया का सबसे युवा राष्ट्र बनता है। भारत में 25 वर्ष से कम उम्र की आबादी का अनुपात 51

प्रतिशत है और 35 वर्ष से कम का अनुपात लगभग 66 प्रतिशत है।

भारत सरकार ने महिला उद्यमी को **"महिलाओं के उद्यम में उत्पन्न रोजगार के न्यूनतम 51 प्रतिशत के न्यूनतम वित्तीय हित वाले महिलाओं के स्वामित्व और नियंत्रण वाले उद्यम"** के रूप में परिभाषित किया है। महिलाओं के बीच उद्यमशीलता, कौशल और ज्ञान केवल प्रशिक्षण और शिक्षा के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। महिलाएँ कृषि और आर्थिक कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। वे खेती में बुवाई से लेकर कटाई तक परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मुख्य भूमिका निभाती हैं, लेकिन इसके बावजूद लगभग हर जगह उन्हें उत्पादक संसाधनों, बाजारों और सेवाओं तक पहुंचने में पुरुषों की तुलना में अधिक गंभीर बाधाओं का सामना करना पड़ता है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के सांख्यिकीय आंकड़ों के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में 70 प्रतिशत से अधिक महिलाएं कृषि में लगी हुई हैं। हालांकि, उनके पास अपनी स्वयं की भूमि का स्वामित्व का प्रतिशत बहुत कम (13.9 प्रतिशत ) है।

यह "लैंगिक असमानता" उनकी उत्पादकता को बाधित करती है और कृषि क्षेत्र के साथ–साथ व्यापक आर्थिक और सामाजिक विकास लक्ष्यों में उनके योगदान को सीमित कर देती है। यदि कृषि में लैंगिक अंतर को समाप्त किया जाए, तो इससे कृषि उत्पादकता में वृद्धि, गरीबी और भूख में कमी, और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, जिससे संपूर्ण समाज को लाभ होगा। पुरुषों की तरह महिलाओं को भी उत्पादक संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। सरकार भी कृषि उत्पादन में नवाचार, स्टार्टअप, महिला कृषि उद्यमिता के वित्त पोषण और तकनीकी ज्ञान के प्रसार के लिए विभिन्न योजनाएँ चला रही है। इन पहलों से देश के आर्थिक विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

एग्रीप्रेन्योरशिप का अर्थ है कृषि क्षेत्र में उद्यमिता। अक्सर, खाद्य को बड़ी मात्रा में उगाया जाता है, जिसे तुरंत उपयोग में नहीं लाया जा सकता, इसलिए इसे लंबे समय तक संरक्षित करने के लिए प्रसंस्करण की आवश्यकता होती है। खाद्य प्रसंस्करण, संरक्षण और उत्पादों की पैकेजिंग के माध्यम से ग्रामीण महिला उद्यमियों की आय में वृद्धि की जा सकती है। इससे न केवल उनकी कमाई की क्षमता में सुधार होगा, बल्कि यह ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा। एकीकृत कृषि प्रणाली, जिसमें फसल प्रबंधन, पशुपालन, डेयरी और मछली पालन शामिल हैं, किसानों की आय बढ़ाने और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कृषि क्षेत्र में युवा और महिलाओं को निम्नलिखित क्षेत्रों में जागरूक और सशक्त किया जाना चाहिए:

- **नकदी फसलों पर ध्यान केंद्रित करना:** अनाज और बाजरा, दालें, फूल, सब्जियां, बागवानी, औषधीय और सुगंधित पौधे, मसाले आदि।
- **गुणवत्ता और मात्रा बढ़ाने के लिए कृषि इनपुट:** नवीनतम कृषि/बागवानी प्रौद्योगिकियां, कृषि रसायन, जैवउर्वरक, जैविक खेती आदि।
- **ऊतक संवर्धन उद्योग:** बीज और रोपण सामग्री का व्यापक प्रसार, हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स
- **पशुपालन उद्योग:** पशुपालन, मत्स्य पालन, डेयरी प्रौद्योगिकी, मुर्गीपालन और मधुमक्खी पालन
- **मूल्यवर्धित खाद्य उत्पाद:** शीघ्र खराब होने वाली सब्जियों और फलों का संरक्षण, जूस, जैम जेली, कैंडी, सूप, नूडल, मल्टीग्रेन प्रोटीन उत्पादन और अन्य खाद्य उत्पाद।

## कृषि क्षेत्र के उत्पाद:

| कृषि क्षेत्र | उत्पाद का मूल्य संवर्धन |
|---|---|
| अनाज और दालों में मूल्य संवर्धन | दलिया, गेहूं का आटा, मैदा, वड़ियां, पापड़, सेवई आदि |
| दूध में मूल्य संवर्धन | दूध उत्पाद, स्किम्ड मिल्क, मिल्क पाउडर, आइस क्रीम, मक्खन, घी, पनीर, खोआ, स्किम पाउडर, मिठाइयाँ, फ्लेवर्ड मिल्क, दही, लस्सी, कुल्फी, खीर, पेड़ा और पुडिंग आदि |
| सब्जियों और फलों में मूल्य संवर्धन | अचार, जैम, जेली, मुरब्बा, फलों का पनीर, जूस, स्क्वैश, फलों के रस पेय, चटनी, सॉस, कैंडी और सूखे फल और सब्जियां आदि |
| मधुमक्खी पालन | पराग, मोम और शहद |
| मशरूम की खेती और प्रसंस्करण | अचार बनाना, ताजे और सूखे मशरूम |
| वाणिज्यिक बेकरी | केक, कुकीज, बिस्किट, रेडी टू ईट फूड्स, स्नैक्स, नमकीन आदि |

## ग्रामीण युवा और महिलाओं के कृषि–उद्यमिता के उभरते लाभः

- यह शहरों में पलायन को कम करने में मदद करेगा।
- यह ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देगा, जिससे ग्रामीण महिलाओं और समुदाय की समग्र आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार करने में मदद करेगा।
- ग्रामीण आय में वृद्धि से ग्रामीण क्षेत्रों का वास्तविक विकास होगा।
- कृषि–उद्यमिता पर्यावरण–अनुकूल संतुलित विकास और वृद्धि को प्राप्त करने में सहायक हो सकती है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि–उद्यमिता के विकास से परिवहन लागत और कटाई के बाद खराब होने वाली वस्तुओं की हानियों को कम किया जा सकता है।
- यह घर की चार दीवारों में बंधी ग्रामीण महिलाओं के लिए भी रोजगार के अवसर बढ़ाएगी जिन्हें बाहर काम करने की अनुमति नहीं है।
- युवा मस्तिष्क में ऊर्जा होती है जो उन्हें अधिक सक्रिय बनाती है और वे नई तकनीकों को अधिक रुचि के साथ अपनाने के लिए तैयार होते हैं।
- युवा कृषि में उपयोग किए जाने वाले नए गैजेट्स से अवगत हैं।
- युवा विभिन्न कंपनियों के साथ साझेदारी करने की क्षमता रखते हैं जो कृषि के क्षेत्र में प्रवेश कर रही हैं। समझौते अनुबंध खेती, सार्वजनिक–निजी भागीदारी और निजी फर्मों को सीधी बिक्री के रूप में हो सकते हैं।
- आजकल युवाओं के पास आधुनिक आईसीटी जैसे मोबाइल फोन, कंप्यूटर संचालन और इंटरनेट से संबंधित बेहतर कौशल हैं जो कृषि में उत्पादकता बढ़ाने, नवाचार सक्षम करने और वित्तीय सेवाओं और बाजारों तक पहुंच को सुगम बनाने के लिए उच्च क्षमता रखते हैं।

- युवा लोगों के अन्य वर्गों की तुलना में परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं।
- युवा किसी भी तकनीक, किस्म और अभ्यास के बारे में अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करेंगे जो सरकार और सहायक संस्थान को बेहतर निर्णय लेने और किसानों की जरूरतों के आधार पर तकनीकों में सुधार करने में मदद करता है।

## भारत में युवा और महिला कृषि–उद्यमियों के मार्ग में बाधाएँ:

आज की महिलाएं लगभग हर क्षेत्र में खुद को साबित कर चुकी हैं। महिलाएं इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, वैज्ञानिक, डिजाइनर, पायलट, पुलिस अधिकारी, राजनेता, शिक्षक और क्या नहीं हैं। लेकिन फिर भी, इस क्रांति की यात्रा आसान नहीं रही है। वास्तविक जीवन में, एक उद्यम स्थापित करना उतना आसान नहीं है जितना दिखता है। महिलाएं अभी भी उद्यमिता में पीछे हैं, और इस क्षेत्र में भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। महिलाओं को निम्नलिखित बाधाओं का सामना करना पड़ता है:

- **कार्यस्थल और घर में दोहरी भूमिका निभाना:** महिलाएं जिम्मेदारियों के दोहरे बोझ को उठाती हैं, यानी घर और पेशे को संभालना। दोहरी जिम्मेदारी के कारण, महिलाएं अपना काम प्रभावी ढंग से संगठित करने में असमर्थ होती हैं क्योंकि उनके पास समय की कमी, ध्यान की कमी और व्यक्तिगत दायित्वों का अधिक बोझ होता है। महिलाओं को उनके कार्य को संगठित करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का समर्थन नहीं है, जैसे कि विश्वसनीय बाल देखभाल, क्रेच, जीवनसाथी की मदद, और घरेलू काम को आसान बनाने वाले उपकरण।
- **युवा और महिलाओं के लिए वित्त की कमी:** वित्तीय पहुंच एक आम चुनौती है जिसका सामना उद्यमियों को करना पड़ता है, और यह विशेष रूप से महिलाओं के लिए सत्य है जिनके नाम पर संपत्ति नहीं होती और जिनके कई दस्तावेजों पर उनके पति की सहमति की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, भारत में पारिवारिक संपत्ति अधिकतर पुरुष संतान को सौंपी जाती है। यह एक और कारण है जिससे महिलाएं अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए पूंजी जुटाने में कठिनाई का सामना करती हैं।
- सब्सिडी की कमी
- **परिवार का असहयोग:** कई बार परिवार की ओर से सहयोग न मिलने के कारण महिलाओं को अपराधबोध महसूस कराया जाता है कि वे घरेलू जिम्मेदारियों की अनदेखी कर रही हैं। सांस्कृतिक परंपराएँ भी महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने से रोक सकती हैं।
- **आवश्यक उपकरणों की अनुपलब्धता:** अधिकांश छोटे उद्यमियों के पास महंगे उपकरण खरीदने की क्षमता नहीं होती जिससे वे अपनी व्यावसायिक इकाइयाँ सुचारू रूप से स्थापित नहीं कर पाते।
- **उचित ज्ञान की कमी:** व्यवसाय को सफलतापूर्वक चलाने के लिए कच्चे माल के वैकल्पिक स्रोतों की जानकारी और मोलभाव करने की उच्च दक्षता आवश्यक होती है। कम जानकारी और सौदेबाजी में अनुभव की कमी से युवा और महिलाओं की व्यापारिक संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- **प्रबंधन कौशल की कमी:** महिला उद्यमियों में प्रबंधन कौशल का स्तर अपेक्षाकृत कम

होता है, जिसके कारण उन्हें विपणन और बिक्री के मामलों में कार्यालयी कर्मचारियों और बिचौलियों पर निर्भर रहना पड़ता है।

- **भंडारण और गोदाम सुविधाओं की कमी:** छोटे उद्यमियों के पास भंडारण और गोदाम सुविधाओं की कमी होती है जिससे उत्पादों की बर्बादी होती है।
- **जोखिम उठाने की कम प्रवृत्ति:** महिलाएँ प्रायः जोखिम लेने से बचती हैं, जिससे वे व्यवसाय में आगे बढ़ने का आत्मविश्वास खो देती हैं। शिक्षा के निम्न स्तर के कारण आत्मनिर्भरता की कमी रहती है, और धन निवेश, संचालन और लाभ अर्जित करने के लिए आवश्यक साहस उनमें कम होता है।
- **विपणन की समस्या:** स्थानीय रूप से उत्पादित वस्तुओं का पर्याप्त विपणन नहीं किया जाता, क्योंकि लोग उनके गुणवत्ता पर विश्वास नहीं करते। उपभोक्ता सुपरमार्केट और दुकानों में पहले से उपलब्ध उत्पादों को अधिक प्राथमिकता देते हैं।
- **बैंकों से ऋण प्राप्त करने की जटिल प्रक्रिया:** वित्तीय संस्थाएं महिलाओं की उद्यमशील क्षमताओं पर संदेह करती हैं। बैंक ऋण देने के लिए महिलाओं से अवास्तविक और अनुचित प्रतिभूतियां मांगते हैं।
- **महिला उद्यमियों और सरकारी एजेंसियों के बीच कमजोर संबंध:** भारत सरकार समय–समय पर महिलाओं के स्वरोजगार और व्यवसाय विकास के लिए विशेष योजनाएँ घोषित करती है, लेकिन ये प्रभावी रूप से लागू नहीं होतीं। अधिकांश महिला उद्यमियों को इन योजनाओं की जानकारी नहीं होती क्योंकि उनकी शिक्षा का स्तर कम होता है। महिला उद्यमियों और सरकारी एजेंसियों के बीच मजबूत संपर्क स्थापित करने की आवश्यकता है, ताकि उन्हें उचित सहायता मिल सके।
- तकनीकी समस्याएं जैसे नई तकनीक के बारे में ज्ञान और जानकारी की कमी, प्रशिक्षण की कमी, कृषि सामग्री की उच्च लागत, सिंचाई सुविधाओं की कमी
- सामाजिक और कृषि गतिविधियों में भागीदारी के लिए प्रोत्साहन या पुरस्कार की कमी
- व्यक्तिगत समस्याएं जैसे कृषि उद्यमिता के प्रति रुचि की कमी, पारिवारिक पृष्ठभूमि, व्यक्तिगत अहंकार

## भारत में ग्रामीण युवा और महिला कृषि उद्यमियों की स्थिति को सशक्त और सुधारने की रणनीतियाँ:

- परिवारों को महिलाओं की उद्यमिता के महत्व के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए।
- विभिन्न उद्यमों को शुरू करने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। भले ही आईसीएआर (ICAR) और कृषि विश्वविद्यालय (SAUs) इस क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रहे हैं, लेकिन फॉलो–अप और विपणन संपर्क की कमी है।
- सरकार और गैर–सरकारी एजेंसियों के माध्यम से उद्यमों को शुरू करने के लिए ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया सरल होनी चाहिए।
- महिला उद्यमियों के विकास से संबंधित परियोजनाओं के लिए अधिक धनराशि अनुसंधान संस्थानों (जैसे CIPHET) को प्रदान की जानी चाहिए।
- महंगे उपकरण किराए पर उपलब्ध कराए जाने चाहिए, जिन्हें कृषि विज्ञान केंद्र

(KVKs ) और अन्य सरकारी एवं गैर–सरकारी संस्थाएँ प्रदान कर सकती हैं।

- स्वयं सहायता समूहों ( SHGs) का गठन और उनकी निगरानी की जानी चाहिए।
- उत्पादों के विपणन की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे कि छात्रावास, अस्पताल, होटल और कैंटीन में आपूर्ति सुनिश्चित करना।
- प्रशिक्षण की योजना बनाते समय KVKs को संपूर्ण पैकेज देना चाहिए, जिसमें प्रसंस्करण, पैकेजिंग और विपणन शामिल हो।
- ग्रामीण महिलाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि कच्चे माल की उपलब्धता और उत्पादन ग्रामीण क्षेत्रों में आसान है।
- सामूहिक उत्पादन और विपणन केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए।
- NABARD और ATMA जैसी एजेंसियों को महिलाओं के लिए अधिक प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए।
- महिला उद्यमियों के लिए प्रोत्साहन और पुरस्कार कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और सामाजिक कल्याण एवं विकास मंत्रालय के बीच समन्वय सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ताकि महिलाओं को उद्यमिता में बेहतर अवसर मिल सकें।

## निष्कर्ष:

युवा और महिला राष्ट्र की महत्वपूर्ण संपत्ति हैं, जिनके पास कृषि के माध्यम से राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा में योगदान करने की क्षमता है।एकीकृत कृषि प्रणाली, जिसमें फसल प्रबंधन, पशुपालन, डेयरी और मछली पालन शामिल हैं, इससे किसान युवा और महिलाओं की आय को दोगुना करने में योगदान मिल सकता है और आत्मनिर्भर बनने के अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह क्षेत्र सतत विकास, उत्पादकता और पोषण सुरक्षा को बढ़ावा देता है। महिलाओं और युवाओं को कृषि उद्यमों से जोड़ना और तकनीकी ज्ञान प्रदान करना आवश्यक है ताकि वे आर्थिक विकास में योगदान कर सकें। हालांकि, कृषि में नए उद्यम स्थापित करना सरकार और अनुसंधान संस्थानों की योजनाओं के बिना कठिन है। कृषि उद्यमिता में बाजार से जुड़ाव, जलवायु परिवर्तन और नवाचार जैसी चुनौतियां हैं। कृषि उद्यमिता, आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति का एक महत्वपूर्ण साधन है, जिसमें पुरुषों और महिलाओं की समान भागीदारी आवश्यक है। भारत में महिला और युवा उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें विभिन्न योजनाएं जैसे महिला बैंक, वित्त निगम, स्व–कल्याण योजना, महिला मंडल आदि, महिलाओं को उद्यमिता के अवसर और वित्तीय सहायता प्रदान कर रही हैं। इन प्रयासों के बावजूद, महिला उद्यमियों की संख्या बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए अधिक समर्थन और संसाधनों की आवश्यकता है। महिलाओं और युवाओं को भूमि संपत्ति के अधिकार दिए जाने से उनकी आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ेगी। यदि सरकार उन्हें भूमि के स्वामित्व सूची में दर्ज करती है, तो उन्हें बैंक से ऋण लेना आसान होगा। इससे वे अपनी समस्याओं को स्वयं हल करने में सक्षम होंगी और कृषि विपणन में आत्मनिर्भर बनेंगी। इससे युवाओं और महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, जिससे उनका जीवन अधिक सुरक्षित, समृद्ध और शांतिपूर्ण बनेगा। एक कहावत भी है कि **उत्तम खेती, मध्यम बान, निषिद्ध चाकरी, भीख निदान** (खेती सबसे अच्छा कार्य है, कारोबार मध्यम, अतः कृषि व्यवसाय सर्वोत्तम है।